

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 3930 / 12-1 गोपेश्वर, दिनांक 01/05/2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा:-

निदेशक/ वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय:-

प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/31469/2018 कर्णप्रयाग नौटी- पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक
मोटर मार्ग का निर्माण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत करना है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग में चाही गई सूचना निम्नानुसार
प्रेषित की जा रही

S.N	प्रश्न	उत्तर
1	All documents are submittd in color photo copies.	इस कार्यालय के पत्रांक 4127/12-1 दिनांक 20-04-2018 द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रति प्रेषित की जा चुकी है।
2	Wrong KML file if found uploaded in place of proposed road.	पार्ट I के क्रमसं C(ii)(b) में सही KML file अपलोड की गई है।
3	Justification for loacating the project in forest land is not c/s by DFO.	Justification for loacating the project in forest land पार्ट I के क्रमसं (D) में अपलोड की गई है।
4	Alternative examined is not c/s by DFO.	Alternative examined का प्रपत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापन कर पार्ट I में अपलोड की गई है।
5	Employment detail seems in correct.	Employment detail को पार्ट I में संशोधन कर अपलोड की गई है।
6	Forest land diverted is mentioned 0.134 ha in FRA certificate but proposal submitted for 0.860 ha.	FRA certificate 0.86 है0 का तैयार कर पार्ट I के निर्धारित कालम में अपलोड किया गया है। (संलग्न)
7	Area mentioned in NPV calculation sheet is 0.84 ha which incorrect	NPV calculation को संशोधित कर पार्ट I एवं पार्ट II के पार्ट II के additional information में अपलोड किया गया है।
8	As per muck disposal plan napp land taken for disposal but not mentioned in component wise breakup.	मोटर मार्ग में (ROW)(Right of way) में पडने वाली भूमि का राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्री के पश्चात दाखिल खारिज किया जाता है। परन्तु मक डिस्पोजल हेतु भूमि के उपयोग हेतु सिर्फ दबान की धनराशि कास्तकारों को दी जाती है। इसलिए मक डिस्पोजल की भूमि निजी भूमि होने के कारण component wise breakup में नहीं दर्शाया गया है।
9	The following documents to be submitted in original:- a- Undertaking to bear CA Cost. b- Authority latter	संलग्न है।

10	Area is mentioned of fall in kedarnaht wildlife Sanctuary . "State govt. may submit the comments of CWLW and upload the same at desigeated place.	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव निर्माण मार्गदर्शिका 2014 के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग की केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार से हवाई दूरी 10 किमी० होने के कारण प्रस्ताव में CWLW की संस्तुति लागू नहीं है।
11	Site Inspection report to be filled by D.F.O is not Submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
12	Part II of the proposal to be filled by DFO is not Submitted.	आन लाईन पार्ट II जिसे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा गया है, को संलग्न कर प्रेषित किया जा रह है।
13	Plantation Scheme of 860 plants is required to be Submitted.	860 वृक्षों के वृक्षारोपण का आगणत तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,



(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।